कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक- 1335 / 12-1 , कोटबंगला दिनांक 14 / 11 /2018

[डायरी सं0- 2886/... Date- 19/11/2018]

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड डुण्डा के अन्तर्गत हरेती से जिनेथ होते हुए पटझरा–स्यालना मोटर मार्ग (ल0 3.50 कि0मी0) के निर्माण हेतु 0.874 है0 वन भूमि का गैर वानकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।**
प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/28731/2017

सन्दर्भ :– **अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, उत्तरकाशी का पत्र सं0– 4067/वन भूमि, दिनांक 30.10.2018।**

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण पर प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 से 8 तक की सभी शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र0 स0	शर्तो/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा प्रस्तावित स्थल के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 14,62,394.50 (चौदह लाख बासठ हजार तीन सौ चौरानब्बे रू0 मात्र) की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा 0.874 है0 के बदले एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 5,74,218.00 (पांच लाख चौहत्तर हजार दो सौ अठारह रू0 मात्र) वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियॉ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा देय धनराशि NEFT/RTGS चालान के माध्यम से Coporation Bank, Lodhi complex Branch, block 11, CGO complex, Phase-1, Lodhi road New Delhi- 11003 के अन्तर्गत UTTARANCHAL CAMPA के खाता संख्या– 150896128731741, IFSC CODE-

	सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का वैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	COR0000371 में रु0 2036612.50 जमा कर दी गयी हैं।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र वन भूमि हस्तानन्तरण प्रस्ताव में दिया गया है कि प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किया जायेगा।
6	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम–2006 मे निहित प्रावधानों अनुसार समस्त आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा आवश्यक अभिलेखों/प्रपत्रों को पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ ऑन–लाईन कर दिया गया है।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्त एजेंसी द्वारा समस्त निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।
8	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी सहमत है।

अतः अनुरोध है, कि विषयगत प्रकरण पत्र पर विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :– अनुपालन आख्या।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, उत्तरकाशी अनुपालन आख्या अपने स्तर से नोडल अधिकारी कार्यालय में ऑनलाइन अपलोड करने का कष्ट करें।

4287/ श्री हिमांशु नौटियाल 19/11/18

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

परन्तु हर प्रत्येक सप्ताह रिपोर्ट दें ... समस्त वनभूमि प्रकरणों की साप्ताहिक अद्यतन स्थिति (Status) मेरे सम्मुख प्रस्तुत करें, यह प्रक्रिया अनवरत जारी रखें, 17/11/18

17/11/18

C:\Users\Gannati Enterprises\Desktop\DraftMan rail\Letter\CCE nodal officer.doc